Capacity Building Training to BLOs and Supervisors

Election Department Rajasthan

TOPICS To Be DISCUSSED IN THIS PRESENTATION-

- Electoral Rolls
- GARUDA BLO App
- Legal and MCC
- **General Information**
- SVEEP
- Accounts

सामान्य सूचना एवं बूथ लेवल अधिकारी से अपेक्षाए

फोटो मतदाता पर्ची
मतदाता सूचना पर्ची

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक **464/INST/2021.EPS दिनांक <u>26.02.2021</u>** द्वारा फोटो मतदाता पर्ची (Photo Voter Slip) के स्थान पर मतदाता सूचना पर्ची (Voter information Slip) जारी करने के निर्देश जारी किये गये है जिस पर **मतदान केन्द्र का नाम, मतदान की दिनांक व समय** आदि सूचनाओं का अंकन होगा तथा इसमे **<u>मतदाता की फोटो का मुद्रण नहीं किया जायेगा</u>** ।

मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) का वितरण मतदाताओं को मतदान दिवस से 5 दिवस पूर्व तक किया जाना है।

मतदाता मार्गदर्शिका (Voter Guide/Brochure in local language) का वितरण प्रत्येक घर पर ''मतदाता सूचना पर्चियों'' के वितरण के साथ किया जाना, जिसमें **मतदान की तिथि, मतदान का समय, बीएलओ का नाम एवं मोबाइल नं., महत्वपूर्ण वेबसाईट्स, हैल्पलाईन नम्बर की सूची, पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची एवं मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए Do's and Don'ts** के बारे में सूचना अंकित होती है।

11 वैकल्पिक दस्तावेज –

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रमांक 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I दिनांक 28.02.2019 द्वारा मतदाता सूचना पर्ची (पूर्व में फोटो मतदाता पर्ची) से मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान नहीं की जायेगी। मतदाता को अब मतदान के समय अपनी पहचान स्थापित करने हेतु **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)** अथवा **11 वैकल्पिक दस्तावेजो** में से किसी एक को अपनी पहचान हेतु लाना होगा।

1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. पैन कार्ड
4. बैंक/पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पास बुक
5. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड– श्रम मंत्रालय योजना के अन्तर्गत जारी
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. पासपोर्ट
8. सेवा पहचान पत्र– जो फोटो सहित राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये हो।
9. स्मार्ट कार्ड–एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गए।
10. पेंशन दस्तावेज फोटो सहित
11. अधिकारिक पहचान पत्र–एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी किया हुआ हो।

तत्समय आयोग द्वारा दिए गये निर्देशानुसार मान्य होंगे।

विधानसभा आम चुनाव, 2018 का मतदा विवरण

- कुल मतदाताओं की संख्या– 4,76,72,871
- ईपिक धारक मतदाताओं की संख्या–47672748 (99.99 %)
- कुल डाले गये मतों की संख्या– 3,53,90,876 (74.24 %)
- तत्समय वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य मतदाता पर्ची से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या–3,07,94,536 (87.01 %)
- ईपिक कार्ड से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या–34,90,057 (9.86 %)
- वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदान करने वाले मतदाताओं की

लोकसभा आम चुनाव, 2019 का मतदान विवरण

- कुल मतदाताओं की संख्या– 4,88,19,218
- ईपिक धारक मतदाताओं की संख्या–4,88,14,671 (99.99 %)
- कुल डाले गये मतों की संख्या– 3,22,55,531 (66.07 %)
- फोटो वोटर स्लिप से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या– **(भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I दिनांक 28.02.2019 के निर्देशानुसार फोटो मतदाता पर्ची मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान का दस्तावेज नहीं है)**
- ईपिक कार्ड से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या–16293025 (50.51 %)
- वैकल्पिक दस्तावेजों से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या–15962506 (49.49 %)

....

- उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं के ईपिक कार्ड जारी होने के बावजूद भी आधे मतदाताओं द्वारा ही ईपिक कार्ड का उपयोग किया गया है।

इस संबध में बीएलओ द्वारा आगामी चुनावों में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए:–

- चुनाव एक लोकतन्त्र का महोत्सव है, जिसमें बीएलओं द्वारा मतदाता सूचना पर्ची इस प्रकार वितरित की जाये, जैसे मतदाता को लोकतन्त्र के महोत्सव मे भाग लेने के लिए निमन्त्रण दिया जा रहा है।
- मतदाता पर्ची इकट्ठे रूप में एक साथ वितरित न कर व्यक्तिशः या परिवार के मुखिया को वितरित की जावे।
- यदि किसी मतदाता का ईपिक कार्ड खो गया हो तो उससे प्री–इलेक्शन पीरियड में 001 फार्म भरवाया जाना चाहिए, जिससे मतदान के समय वह मतदाता ईपिक कार्ड का प्रयोग कर सके।
- मतदाताओं को पहचान दस्तावेज के रूप में ईपिक कार्ड ही लाने के लिए

कोविड प्रोटोकॉल

कोविड प्रोटोकॉल (दिनांक 24.08.2020) की अनुपालना में मतदान केन्द्र पर मतदान दिवस से पूर्व एवं मतदान दिवस को बीएलओ द्वारा निम्न कार्यो की मॉनिटरिंग की जायेगी–

- मतदान केन्द्र को मतदान के एक दिन पहले अनिवार्य रूप से **सेनेटाइज** करवाना।
- मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर **थर्मल स्कैनर** रखवाया जाना।
- पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मतदाताओं को टोकन वितरण के लिए **हेल्प डेस्क** स्थापित करना, जिससे मतदाताओं को ज्यादा देर कतार में न लगना पड़े।
- कतार के लिए **सामाजिक दूरी** प्रदर्शित करने के लिए मार्किंग करवाना।
- जगह की उपलब्धता के आधार पर **2 गज (6 फिट)** की दूरी के 15–20 गोले बनवाना।

- पुरूष, महिला एवं पीडब्ल्यूडी/वरिष्ठ मतदाताओं के लिए **तीन कतारें** बनवाना।
- मतदान केन्द्र परिसर के अन्दर पुरूष एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग कुर्सियॉं, दरियों के साथ **छाँया की व्यवस्था** करवाना।
- मतदान केन्द्र के प्रवेश/निकास द्वार पर **साबुन, पानी और सेनिटाइजर की व्यवस्था** करवाना।
- जिन मतदाताओं के पास फेस मास्क नहीं हो उनके लिए **रिजर्व फेस मास्क** की व्यवस्था करवाना।
- **मतदाता जागरूकता पोस्टर** दृश्यमान स्थानों पर प्रदर्शित करना।

अनुपस्थित मतदाता

- आयोग के पत्र दिनांक 15.01.2020 द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में निर्वाचकों का संचालन नियम, 2019 के द्वारा निम्न मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है।
- फर्जी मतदान को रोकने के लिए बी.एल.ओ. द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं की अलग सूची निम्नानुसार बनाई जाती है–

अनुपस्थित मतदाताओं की अलग सूची

- **अनुपस्थित मतदाता**
  - वरिष्ठ नागरिक 80+
  - कोविड संदिग्ध/प्रभावित मतदाता
  - दिव्यांग मतदाता
- **स्थानांतरित मतदाता**
  - परिवार सहित
  - परिवार के बिना

गत् विधानसभा उप चुनाव, 2021 में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) भीलवाडा, चुरू एवं राजसमन्द से प्राप्त **Statement of Postal Ballot Formats** की सूचना –

Annexure - II

Compiled Statement of Postal Ballots in the Category of Absentee Voters

(To be sent to the Commission)

Total Electors - 7,45,226

Sr.No.	Category	No. of electors in the category	Number of Form 12D issued	Number of PB issued	Total Postal Ballots Received from absentee voters	% of received PB
1	80+	19984	19984	766	745	3.7
2	PWD	8532	8532	152	150	1.75
3	Essential Services	-	-	-	-	-
4	Covid - 19 suspect or affected voters	-	-	-	-	-
Grand Total		28516	28516	918	895	3.14

Annexure - IV

Compiled Statement of Postal Ballots other than of Absentee Voters received by RO
To be sent to the Commission
Total Electors - 7,45,226

SI.No.	Category	No. of electors in the category	Number of PB issued		Total no. of Postal Ballots Received by RO	% of received PB
1	Service Voters	520	520	-	69	13.27
2	Polling Staff	706	685	Received from the facilitation centre-460 Received by Post-118	578	81.87
Grand Total		1226	1205	-	647	52.77

FAQs

पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न :–

प्रश्न–1 डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार कौन है ?

उत्तर– चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2019 और आचरण के अनुसरण में चुनाव (संशोधन) नियम, 2020 के चुनाव आयोग के निर्णय दिनांक 16 जुलाई, 2020 को अनुपस्थित मतदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को सुविधा दी गई है :–

- वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु)
- दिव्यांग व्यक्ति
- कोविड–19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्ति और
- आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति

प्रश्न–2 अनुपस्थित मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र में शामिल कदम क्या हैं?

चरण 1 – बूथ लेवल अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर अनुपस्थित मतदाताओं (AVSC, AVPD & AVCO) के घर का दौरा करेंगे तथा संबंधित निर्वाचकों को फार्म 12 डी वितरिंत करेंगे और उनसे पावती प्राप्त करेगें।

चरण 2 – अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर बूथ लेवल अधिकारी मतदाता के घर से भरे हुए फॉर्म 12 डी को एकत्र करेगें और रिटर्निंग ऑफिसर के पास तुरन्त जमा करवा देगें।

- **चरण 3** – समय पर एवं पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म 12 डी में आवेदन प्राप्त होने पर रिटर्निंग ऑफिसर आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक सूची 3 श्रेणीयों (वरिष्ठ नागरिकजन, दिव्यांगजन एवं कोविड–19 संदिग्ध) के आधार पर तैयार करेगें।
- **चरण 4** – सभी निर्वाचकों जिनका निर्वाचक नामावली के संदर्भ में सही विवरण पाया गया है, को वरिष्ठ नागरिकजन की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में पोस्टल बैलेट पैपर जारी किया जायेगा और दिव्यांगजन एवं कोविड–19 की श्रेणी से संबंधित अनुपस्थित मतदाताओं के मामले में फार्म 12 डी जारी करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी **सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण प**त्र की विधिवत् जांच करेगा।

. . . .

- **चरण 5** – माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ मतदान अधिकारियों की टीम मतदाताओं का फार्म 12 डी में उल्लेखित पते पर जाकर दौरा करेगी।
- **चरण 6** – निर्वाचक की पहचान सत्यापित की जाएगी और मतदान की समस्त प्रक्रिया की जानकारी निर्वाचकों को दी जाएगी।
- **चरण 7** – निर्वाचक अपने मत को चिन्हित करेगा और मतपत्र को छोटे लिफाफे में रखेगा (फार्म 13बी)।
- **चरण 8** – सही प्रकार से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित फार्म 13ए को अधिकृत मतदान अधिकारी सत्यापित कर बन्द लिफाफा (फार्म 13बी) जिसमें चिन्हित मतपत्र होगा, के साथ बडे लिफाफे में रखेगा। (फार्म 13सी)
- **चरण 9** – बड़े लिफाफे को बंद करके मतदान अधिकारी को सौंप देगा।

अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के 11 FAQs दिनांक 13 मार्च, 2021 से आयोग की विभागीय वेबसाईट eci.gov.in पर उपलब्ध हैं।

बीएलओ के मतदान पूर्व के उत्तरदायित्व

- बी.एल.ओ. के माध्यम से या एसएमएस या निर्वाचन विभाग की वेबसाईट के माध्यम से फोटो मतदाता सूची में अपने नामों को देखने के लिए मतदाताओं को अवगत कराना।
- मतदाताओं को स्वतंत्र एवं निर्भय होकर बिना किसी लोभ–लालच के मतदान हेतु प्रोत्साहित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि माईक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर व वेबकास्टिंग दल जिन मतदान केन्द्रों पर तैनात किए गये हैं, वहां पहुंच गए हैं।

Electronically Transmitted Postal Ballot System (ETPBS)

सैन्यकर्मी और अर्द्धसैन्यकर्मी (आर्मी और बी.एस.एफ) यदि सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकृत है तो ऐसे मतदाता (यदि मौके पर पाये जाते है) अथवा उनके परिवारजन को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि ऐसे मतदाता मतदाता सूची में सामान्य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने की जगह आयोग के सर्विस वोटर पोर्टल पर सेवानियोजित मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराएं, जिससे मतदान के दौरान उन्हें ETPBS जारी किया जा सके तथा वे अपने पदस्थापन स्थान से ही अपने

धन्यवाद